"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 112] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 21 मार्च 2013—फाल्गुन 30, शक 1934

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2013

अधिसूचना

फा. क्रमांक 2265/906/21-ब/छ.ग./13.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (क्र. 66 सन् 1984) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छ.ग. उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्र. 3423/डी-965/21-ब/छ.ग./04 दि. 07-06-2004 एवं क्र. 1507/डी-397/21-ब/छ.ग./05 दिनांक 24-02-2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित और संशोधन करती है तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से निम्नानुसार कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में :—

1. अनुसूची 2 के सरल क्रमांक 1 के स्तम्भ 4 के खण्ड-ब को विलोपित किया जाये.
2. अनुसूची 2 के सरल क्रमांक 2 के स्तम्भ 4 के खण्ड-ब को विलोपित किया जाये.
3. अनुसूची-2 की प्रविष्टि 12 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाय, अर्थात् :—

अनु. क्र.	न्यायालय का नाम एवं जिला	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
13	कुटुम्ब न्यायालय, जगदलपुर	जगदलपुर	तहसील कोण्डागांव, केशकाल और नारायणपुर के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर राजस्व जिला बस्तर स्थान जगदलपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)
14	कुटुम्ब न्यायालय, कबीरधाम (कवर्धा)	कबीरधाम (कवर्धा)	राजस्व जिला कबीरधाम (कवर्धा)
15	कुटुम्ब न्यायालय, महासमुंद	महासमुंद	संपूर्ण राजस्व जिला महासमुन्द
16	कुटुम्ब न्यायालय, कांकेर	कांकेर	तहसील भानुप्रतापपुर एवं पखांजूर के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर राजस्व जिला कांकेर.
17	कुटुम्ब न्यायालय, धमतरी	धमतरी	संपूर्ण राजस्व जिला धमतरी

Raipur, the 21st March 2013

NOTIFICATION

F. No. 2265/906/XXI-B/C.G./13.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) the State Government, in consultation with the High Court of Chhattisgarh makes following further amendment in this department's previous notification No. 3423/D-965/XXI-B/C.G./04, Dated 07-06-2004 and No. 1507/D-397/XXI-B/C.G./05, dated 24-02-2005 (as amended from time to time) and establishes the following Family Court with effect from 1st April, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification :—

1. Clause (b) of column No. 4 of serial No. 1 of the Schedule-II shall be omitted.
2. Clause (b) of column No. 4 of serial No. 2 of the Schedule-II, shall bc omitted.
3. After the entry No. 12 of the Schedule-II, the following shall be added, namely :—

S. No. (1)	Name of the Court and District (2)	Headquarters (3)	Jurisdiction (4)
13	Family Court, Jagdalpur	Jagdalpur	Revenue District Bastar at Jagdalpur excluding the jurisdiction of the Courts of Tahsils Kondagaon, Keshkal and Narayanpur.
14	Family Court, Kabirdham (Kawardha)	Kabirdham (Kawardha)	Revenue District Kabirdham (Kawardha)
15	Family Court, Mahasamund	Mahasamund	Whole Revenue District, Mahasamund
16	Family Court, Kanker	Kanker	Revenue District Kanker excluding the jurisdiction of the Courts of Tahsils Bhanupratappur & Pakhanjur.
17	Family Court, Dhamtari	Dhamtari	Whole Revenue District Dhamtari

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2013

अधिसूचना

फा. क्रमांक 2281/21-ब/छ.ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, जिला न्यायालय की स्थापना में शीघ्रलेखक, स्टेनो-टाइपिस्ट एवं सहायक ग्रेड-तीन भर्ती नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

प्रस्तावना, नाम एवं नियमों में जहां कहीं भी शब्द "जिला न्यायालय स्थापना" आये हों के स्थान पर, शब्द "छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समस्त न्यायालय" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. नियम 2 के खण्ड (ख) के पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"(क-1) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य के संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तथा संबंधित कुटुम्ब न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश;"

3. नियम 3 में,—

(1) खण्ड (क) में, शब्द एवं अंक "न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से स्नातक" के स्थान पर शब्द, अंक एवं अल्पविराम "अनारक्षित वर्ग के लिए 45 प्रतिशत अंकों तथा आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंकों, से स्नातक," प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) खण्ड (ग) में शब्द "विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा उत्तीर्ण" के स्थान पर शब्द "डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डीसीए) प्रमाणपत्र के साथ एम एस वर्ड तथा इन्टरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान" प्रतिस्थापित किया जाए.

(3) खण्ड (घ) में, शब्द "शीघ्रलेखक/स्टेनो-टाइपिस्ट" के पूर्व शब्द "हिन्दी" अंतःस्थापित किया जाए.

(4) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—
"(ङ) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के पद के लिए अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र रखता हो."

Raipur, the 21st March 2013

NOTIFICATION

F. No. 2281/XXI-B/C.G./13.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the District Court Establishment Recruitment of Stenographer, Steno-typist and Assistant Grade-III Rules, 2005, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. **In the Preamble, title and the Rules for the words "District Court Establishment" wherever they occur, the words "All Courts under subordination of High Court of Chhattisgarh" shall be substituted.**

2. Before clause (b) of Rule 2, the following shall be inserted, namely :—

"(a-1) "Appointing Authority" means District and Sessions Judge of the respective District, and Principal Judge/Judge of the respective Family Court, of the State;"

3. In Rule 3,—

(1) In clause (a), for the words and figure "graduation with minimum 50% marks", the words, figure and comma "graudation with 45% marks for unreserved category and 40% marks for reserved category," shall be substituted.

(2) In clause (c), for the words "passed post-graduate Diploma in Computer from any institution recognised by the University or State Government or Central Government", the words "minimum computer knowledge of MS Word and Internet with Certificate of Diploma in Coumputer Application (DCA)" shall be substituted.

(3) In clause (d), before the words "Stenographer/Steno-Typist" the word "Hindi" shall be inserted.

(4) After clause (d), the following shall be added, namely :—

"(e) Possesses a certificate of passing English Shorthand and typing examination for the post of English Stenographer."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.